संलग्रक 'क'

भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता - 2026-27 : नियम

1. यह प्रतियोगिता निम्नलिखित संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए है :
   - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
   - भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यरत सभी कर्मचारी/ अधिकारी
2. यह प्रतियोगिता निजी एवं सहकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के लिए नहीं है।
3. इसमें राजभाषा अधिकारी/अनुवादक भाग नहीं लेंगे।
4. इस निबंध प्रतियोगिता के लिए शब्द सीमा 2000 से 3000 तक रखी गई है।
5. निबंध हिंदी में सफेद कागज पर टाइप किया हुआ होना चाहिए। हाथ से लिखे गए निबंध भी स्वीकार किए जाएंगे, बशर्ते वे साफ-साफ लिखे गए हों और आसानी से पढ़े जा सकते हों। **प्रविष्टियाँ सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में स्वीकार की जाएंगी/ हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।**
6. प्रतियोगिता मातृभाषा के अनुसार (i) भाषिक समूह 'क'- हिंदी एवं उर्दू, (ii) भाषिक समूह 'ख'- मराठी, पंजाबी, सिंधी, कोंकणी और गुजराती तथा (iii) भाषिक समूह 'ग' [अर्थात पूर्वोक्त 6(i) और 6(ii) में उल्लिखित वर्गों से पृथक] भाषा-भाषियों के लिए अलग-अलग आयोजित की जाएगी और प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार एवं दो प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
7. प्रत्येक भाषिक समूह [अर्थात 6 (i), (ii) एवं (iii)] के लिए प्रथम पुरस्कार की राशि ₹14,000/-, द्वितीय पुरस्कार की राशि ₹10,000/- तथा तृतीय पुरस्कार की राशि ₹8,000/- तथा प्रत्येक भाषिक क्षेत्र में दो प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि ₹3,000/- रुपए है।
8. **परिणाम की सूचना :** प्रतियोगिता के परिणाम भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। साथ ही, विजेताओं एवं संबंधित कार्यालय/प्रधान कार्यालय को भी सूचित किया जाएगा।
9. प्रत्येक प्रतिभागी को **अनुबंध-ख** के अनुसार अपने संबंधित संस्था के माध्यम से अपनी मातृभाषा सूचित करते हुए यह प्रमाणपत्र देना होगा कि उनका निबंध मौलिक है तथा उन्होंने उसे अन्यत्र पुरस्कार या प्रकाशन के लिए नहीं भेजा है।
10. निबंध में उद्धृत डेटा सहित समस्त संदर्भों के स्रोत का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
11. प्रतियोगिता के संबंध में रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम और प्रतिभागियों के लिए बाध्यकारी होगा।
12. प्रतिभागियों को निर्धारित अवधि के भीतर निबंध प्रस्तुत करना होगा ।
13. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी अपने निबंध संबंधित शाखा/ विभाग के प्रभारी के प्रमाणन के साथ केवल सॉफ्ट कॉपी के रूप में ईमेल (to: rajbhashanibandh@rbi.org.in) के माध्यम से भेजें।
14. प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण से जुड़े पक्षों यथा समारोह, स्थान आदि के बारे में राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यदि प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए जाने हेतु आमंत्रित किया जाता है तो विजेताओं को संबंधित बैंक/संस्था "ड्यूटी पर" मानेगा।
15. पुरस्कृत निबंधों पर भारतीय रिज़र्व बैंक का सर्वाधिकार होगा। पुरस्कार विजेता निबंध को अन्यत्र कहीं नहीं छपवाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक को अपनी पत्रिकाओं/प्रकाशनों में इन निबंधों को प्रकाशित करने का अधिकार होगा।
16. प्रतिभागी द्वारा निबंध पर कहीं नाम, पता आदि नहीं लिखा होना चाहिए अन्यथा प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी।
17. **तीन वर्ष तक लगातार पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को चौथे वर्ष पुरस्कार न देकर एक श्रेष्ठता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। पांचवें वर्ष से वह प्रतियोगिता में फिर से पुरस्कार पाने का पात्र होगा।**
18. निबंध भेजने की अंतिम **तारीख 01 जून 2026 (सोमवार)** है।

****